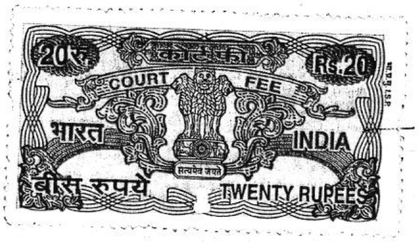

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

निगरानी क्र......./15 नि.ग – 370 – II/16

भैरोसिंह आ.ईमरतसिंह आयु वयस्क,
कृषक व निवासी ग्राम बिछिया, पो.दौराहा,
तहसील श्यामपुर जिला–सीहोर म.प्र. ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. अब्दुल शमीम आ.छोटे खॉ आयु वयस्क
2. अब्दुल अलीम आ.छोटे खॉ आयु वयस्क
दोनो कृषक व निवासी ग्राम बिछिया, पो.दौराहा,
तहसील श्यामपुर जिला–सीहोर म.प्र. ....प्रतिनिगरानीकर्तागण

आज दिनांक 21/1/16 को श्री भारत कु. शर्मा अधिवक्ता हाईकोर्ट भोपाल comp पर प्रस्तुत किया
21/1/16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 15/10/2015 जो प्रकरण क्र. 26/अ–12/2014–15 में द्वारा पारित पटवारी हल्का नं. 21 तहसील श्यामपुर तहसीलदार श्यामपुर जिला–सीहोर म.प्र. द्वारा पारित किया गया।

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता आलोच्य आदेश से दुखी एवं प्रभावित होकर निम्न तथ्य एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता हैं –

–:: तथ्य ::–

1. यह कि प्रतिनिगरानीकर्ता द्वारा ग्राम बिछिया पटवारी हल्का नं.21 राजस्व निरीक्षक मंडल–02 तहसील श्यामपुर जिला–सीहोर ग्राम बिछिया स्थित भूमि सर्वे नम्बर 69/1, 476/49/1 रकबा 1.781 हेक्टेयर एवं सर्वे नं.69/2, 476/49/2 रकबा 1.781 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 28/10/2014 को प्रस्तुत किया गया, बिना पड़ौसी कृषको एवं निगरानीकर्ता को सूचना पत्र जारी किये साथ में प्रतिनिगरानीकर्तागण को सूचना पत्र जारी किये जिस पर बिना विधिवत् सूचना पत्र जारी किये दिनांक 08/10/2015 को एवं 15/10/2015 को सीमांकन कार्यवाही पूर्ण करना बतलाते हुए दिनांक 16/10/2015 को पारित आदेश के द्वारा सीमांकन कार्य की पुष्टि की गई जिसे निम्न आधारो पर चुनौती दी जाती है :–

––2––

भैरोसिंह

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 370/II/16 जिला सीहोर

मैहरसिंह — अब्दुल नसीम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-1-16	आवेदक अधिवक्ता रामकृष्ण शर्मा उप० उन्होंने प्रकरण में प्रारम्भिक तर्क प्रारम्भ किए जिस दौरान यह पाया गया कि जिस भूमि के सीमांकन से परिवेदित हैं उसके भूमि स्वामी नसीम खां वल्द हकीम खां तथा वसीम खां वल्द हकीम खां हैं, जबकि उन्होंने निगरानी अब्दुल रहीम वल्द छोटे खां एवं अब्दुल अलीम वल्द छोटे खां को प्रति निगरानीकार बनाकर दायर की है जिनका वाद भूमि से क्या संबंध है यह स्पष्ट नहीं है। निगरानी मेमो में आक्षेपित आदेश की दिनांक 15-10-15 लिखी है जबकि उसकी प्रति में 16-10-15 अंकित है। इस प्रकार निगरानी मेमो में आधारभूत प्रकृति की लापरवाही, विशेषकर प्रतिपक्षकारों के नाम को लेकर, होने के परिणामस्वरूप यह निगरानी इसी प्रक्रम पर समाप्त की जाती है। साथ ही निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा को समक्ष में यह हिदायत भी दी जाती है कि भविष्य में न्यायालय के समक्ष प्रकरण सावधानी पूर्वक प्रस्तुत करें ताकि न्यायालय के अमूल्य संसाधन एवं समय की हानि नहीं हो। ~~[illegible]~~ आवेदन निगरानी प्रकरण समाप्त। दा०द० हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	(हस्ताक्षर)

[कृ. प. उ.